



कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 2345 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 25 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय :- जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ :- इस कार्यालय के पत्रांक 1001/12-1 दिनांक 23.09.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 12.01.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से हार्डप्रति (ऑफलाइन) के माध्यम से पूर्व ही प्रेषित की जा चुकी है। सूचना ऑनलाईन वर्तमान में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत सूचना ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 यथासंशोधित-2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 2345 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत)।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1352/12-1 दिनांक, चम्पावत 27-9-2024

सेवा में,

वन महानिरीक्षक, (एफ0सी0)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कमरा नं0 - A-361 IIIrd floor
अग्नी ब्लॉक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली, पिन - 110003।

विषय - जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा-जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (FP/UK/ROAD/438258/2023)

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या 2560/12-1 दिनांक 14.06.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल परिवेश पोर्टल में अपलोड की जानी है। जो कि इस वन प्रभाग द्वारा अपलोड करने में समस्या आ रही है। इसके लिए पूर्व में आपके द्वारा दूरभाष में दिशानिर्देश दिये गये थे। परन्तु अभी भी के0एम0एल0 फाईल अपलोड नहीं हो पा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त के0एम0एल0 फाईल (ई-मेल द्वारा प्रेषित) को परिवेश पोर्टल में अपलोड किये जाने में सहायता करने की कृपा करें। जिससे कि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,


(आर0सी0 काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक:- 1352/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी चम्पावत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत एवं नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत) को सूचनार्थ प्रेषित।

जमारी-चम्पावत

आ.का.के.।

06

1352/12-1/नो
14-06-24

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

संज्ञित को 1394
दिनांक 12-1
22-10-24



प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(12)



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 100 / 12-1 : देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:- जनपद-चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/42256/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या- 8बी/यू.सी.पी/06/83/2022/एफ०सी०/1352 दिनांक 12.01.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या-2988/12-1(2) दिनांक 12.08.2024 एवं पत्रांक-478/12-1(2) दिनांक 12.08.2024 के द्वारा वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र०सं०	आपत्ति	उत्तर/निराकरण
1.	The information related to alternate examination is not filled in online Part-I at para-D. The State Govt. is requested to fill the information in this regard	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण से सम्बन्धित सूचना ऑनलाईन भाग-1, पैरा-डी में अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-1)
2.	The information related to tree enumeration is not properly filled in online part-II at Para-4 (ii). The State Govt. is requested to fill the information related to tree enumeration in online part-II at Para-4(ii).	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उक्त सूचना ऑनलाईन भाग-II, पैरा-4(ii) में अपलोड कर दी गयी है।
3.	The muck disposal plan submitted by the state govt. in not clear. The State Govt. is requested to submit clear muck disposal plan showing clear calculation regarding the muck generated, utilized and disposed over the selected sites and also submit the reclamation plan for the area proposed for muck dumping.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु वांछित योजना, जिसमें मलवा उत्सर्जन पुनः उपयोग एवं अतिरिक्त मलवे का गणनात्मक प्रस्ताव जिसमें चयनित स्थल में अतिरिक्त मलवे का समायोजन किये जाने के साथ-साथ मलवा निस्तारण हेतु चयनित भूमि का Reclamation Plan संलग्न कर ऑनलाईन कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
4.	The State Govt. has uploaded the CA area against the Kml of diversion area in online part-I. The State Govt. is requested to provide the kml of diversion area showing location of villages to the benefited and alternate alignment.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है, जिसकी हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)

o/c

The 1.40 ha. CA area of this proposal is overlapping with CA area of online proposal no. FP/UK/Road/38399/2019. Therefore, need to be replaced with some other suitable area.

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र जो overlap हो रहे थे, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.500 है0 के मानचित्र तैयार कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है, जिनकी प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-4)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भूतदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 100 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (चम्पावत)।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं०-42256/2019।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2560/12-1 दिनांक 14.06.2024।

महोदय,
संदर्भित पत्र के आलोक में उक्त मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया है:-

प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1- बिन्दु सं० 4 के अनुसार के०एम०एल० फाईल अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा के०एम०एल० दिनांक 04.05.2024 को अपलोड कर दी गयी है।
2- बिन्दु सं० 05 के अनुसार दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे थे, जिसके निराकरण हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 5.500 है० बनाकर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न- जियोरिफरेंस मैप की प्रति)

इस कार्यालय द्वारा उक्त आपत्तियों का परीक्षण किया गया एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों का पालन कर प्रकरण आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव को संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया तदनुसार अवगत एवं आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें।

(संलग्न- यथोपरि।)

भवदीय

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 734
पत्रावली 12-1
दिनांक 22-8-24

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

जुमारी-चम्पावत
आ. का. के.।

22-8-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No. 230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 700 / 12-1 दिनांक, चम्पावत 6-8-2024।

सेवा में

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय का पत्रांक 2560/12-1 दिनांक 14 जून, 2024 व अपका पत्रांक 7026/12-1 दिनांक 03.07.2024 व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट का पत्रांक 1355/20सी० दिनांक 02.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में दो बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट द्वारा उनके पत्रांक 1355/20सी० दिनांक 02.08.2024 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसकी आख्या आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है-

क. सं.	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12.01.2024 के बिन्दु संख्या 04 की सूचना चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। अपलोड के०एम०एल० का अवलोकन कर स्पष्ट सूचना प्रेषित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में बिन्दु संख्या 4 में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की के०एम०एल० ऑनलाईन भाग 1 में सही स्थान में अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये थे, जिसे सही स्थान पर अपलोड कर दिया गया था। वर्तमान में स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की के०एम०एल० फाइल देखने हेतु जियोरिफरेंस मैप में दिये गये कॉर्डिनेट के अनुसार खोलने पर मार्ग के वैकल्पिक एवं स्वीकृत समरेखण स्पष्ट प्रदर्शित हो जायेगा। (संलग्न-जियोरिफरेंस मैप की प्रति)
2	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12.01.2024 के बिन्दु संख्या 05 के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण का ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के अवलोकन से दृष्टिगत हो रहा कि अभी भी दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर overlap हो रहे थे, जिस हेतु उपयुक्त नवीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 5.500 हे० बनाकर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न:

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।	जियोरिफरेंस मैप की प्रति) चूंकि प्रकरण नोडल स्तर पर लम्बित होने के कारण के0एम0एल0 डिविजन स्तर से अपलोड नहीं किया जा सकता है, अतः उक्त क्षेत्र का के0एम0एल0 ई0-मेल के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है जिसे आप अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
--	---

इसके अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समरेखण में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है व भविष्य में परियोजना की के0एम0एल0 फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेखण के अनुसार ही किया जायेगा।

अतः महोदय से अनुरोध कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्च स्तर को अग्रसारित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण का निस्तारण स-समय किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय


(आर0सी0 काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।



पत्रांक:- 700/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

पत्रांक :- 1355/2024

दिनांक - 02/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत
पत्रांक 1279
चम्पावत संख्या 12-1
दिनांक 3-8-2024

विषय :- जनपद चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.780 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (Online No- FP/UK/ROAD/42256/2019)

संदर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक 436/12-1 दिनांक, चम्पावत 24-7-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2560/12-1 देहरादून दिनांक 14-06-2024 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है-

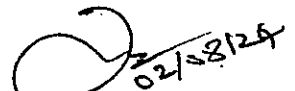
क्र० सं०	प्रस्ताव में पाई गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	भारत सरकार के उक्त पत्र में दिनांक 12-01-2024 के बिन्दु संख्या-4 की सूचना, चाही गयी सूचना के अनुरूप अपलोड नहीं है। अपलोड KML का अवलोकन कर स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाय।	पूर्व में बिन्दु सं० 4 में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की KML को Online के भाग-1 में सही स्थान में अपलोड करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये थे, जिसे सही स्थान पर अपलोड कर दिया गया था, वर्तमान में मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण की KML फाइल देखने हेतु जियोरेफरेन्स मैप में दिये गये कोर्डिनेट के अनुसार खोला जाय। इस प्रकार मार्ग के स्वीकृत एवं वैकल्पिक समरेखण स्पष्ट प्रदर्शित हो जायेंगे। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप की प्रति)
2	भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 12-01-2024 के बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण का ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के अवलोकन से दृष्टिगत हो रहा है कि अभी भी दो भिन्न परियोजनाओं हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र परस्पर Overlap हो रहे हैं, जिनको सही नहीं किया गया है।	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/42256/2019) Over lapping हो रहे भाग को पृथक कर दिया गया है एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नवीन CA Land 5.500 है० बना कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न जियोरेफरेन्स मैप CA Land की प्रति)

महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कर दिया गया है तथा परियोजना की KML फाईल में प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण चयनित समरेण के अनुसार ही किया जायेगा तथा वर्तमान तक उक्त समरेखण में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण को अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण स-समय किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार संलग्नक 5 प्रतियों में।

भवदीय,


(इं० संजय चौहान)
अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
लोहाघाट।

पत्रांक :-/

दिनांक -/...../2024

- प्रतिलिपि - अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
लोहाघाट।



कार्यालय— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 650 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: २० सितम्बर, 2025

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अग्नि ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,
नई दिल्ली, पिन-110003।

विषय:— जनपद—चम्पावत में विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सूतेड़ा जमरेड़ी व क्रान्तेश्वर तब मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन व सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या— FP/UK/ROAD/42256/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि विषयक प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, देहरादून द्वारा ई0डी0एस0 आपत्ति निर्गत की गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से ई0डी0एस0 आपत्ति का उत्तरालेख नोडल कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसे 25.03.2025 को हार्ड प्रति में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, किन्तु प्रकरण तकनीकी समस्या के कारण परिवेश पोर्टल के माध्यम से इसे ऑनलाईन प्रेषित नहीं किया जा सका।

प्रश्नगत प्रकरण में दूरभाष पर एन0आई0सी0 से वार्ता की गयी, किन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पाया, दिनांक 02.07.2025 को नोडल कार्यालय द्वारा एन0आई0सी0 को पुनः इस सम्बन्ध में ई—मेल से अनुरोध किया गया, उनके द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु विकल्प दिया गया, उस विकल्प के अनुसार पूर्ण प्रयास के उपरान्त प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया जा सका, तदोपरान्त दिनांक 03.07.2025 को एन0आई0सी0 को पुनः ई—मेल के द्वारा अवगत कराया गया। पुनः विकल्प प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रकरण उच्च स्तर को ऑनलाईन प्रेषित नहीं हो पा रहा है, जिससे प्रकरण ऑनलाईन में नोडल कार्यालय स्तर पर ही प्रदर्शित हो रहा है, फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में एन0आई0सी0 को परिवेश पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के निराकरण किये जाने हेतु एन0आई0सी0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदत्त किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(डॉ० एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 656 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— उप महानिदेशक, वन (के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 650 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— निदेशक, एन0आई0सी0, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं0—A-361 IIIr floor, अग्नी ब्लाक, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ole

संख्या / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी-चम्पावत।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० एत्तवी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।